

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1673 / ओबरा / 33 दिनांक, 06-01-2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

400 के0वी0 अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में विभिन्न वन प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28 हे० वन भूमि का लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/32650/2018)

सन्दर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट का पत्रांक-1696/ रेनुकूट/ 15-7 दिनांक-29.11.2020, प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक-1478/सोनभद्र/33 दिनांक-29.12.2021, प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर का पत्रांक-2064/मीरजापुर/15 दिनांक-14.12.2021 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-1254/33-1 दिनांक-21.12.2021. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-सा० 5173/मी०क्षे०/33 दिनांक-30.05.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर एवं मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ता है, भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	प्रस्ताव से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल (हे०में)
1	रेनुकूट वन प्रभाग	98.28
2	ओबरा वन प्रभाग	113.048
3	सोनभद्र वन प्रभाग	15.79
4	मीरजापुर वन प्रभाग	37.51
5	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर	54.652
	योग:-	319.28 हे०

उपरोक्त वन भूमि का लीज नवीनीकरण का रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर व कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर का समेकित प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक-1073/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रांस/32650/2018 दिनांक-28.09.2021 द्वारा प्रभागवार कमियों का इंगित करते हुए, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग तथा रेनुकूट

वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक-1696/ रेनुकूट/ 15-7 दिनांक-29.11.2020, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1478/सोनभद्र/33 दिनांक-29.12.2021, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-2064/मीरजापुर/15 दिनांक-14.12.2021 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र संख्या-1254/33-1 दिनांक-21.12.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करते हुए, सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रस्तावक विभाग तथा सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

रेनुकूट वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभास है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाईन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाईन भाग-2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलीट कर अपलोड करें। इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1696/रेनुकूट/15-7 दिनांक-29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-1। अतः आन लाईन भाग-2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2	ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail के क्रमांक-5 एवं 10 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है। इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1696/रेनुकूट/15-7 दिनांक-29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखों को अपलोड कर दिया गया है, जो ओपन हो रहा है।
3	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-

प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

1696/रेनुकूट/15-7 दिनांक-29.11.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है।

ओबरा वन प्रभाग

1 प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के द्वारा पृष्ठ संख्या-194सी पर संलग्न प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.11.1993 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है तथा लीज अवधि का उल्लेख भी नहीं किया गया है। अतः लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 08/23.02.1994 के द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में 319.28 हे0 वनभूमि 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा यह लिखा जाना कि प्रकरण में लीज अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का

इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है। अतः दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना की आवश्यकता न होने के कारण आन लाईन भाग-2 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

	उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, त्रुटिपूर्ण है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक कर ऑनलाइन भाग-2 से भी डिलिट करें।	
2	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने के कारण, आन लाईन भाग-2 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail के क्रमांक-4 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखों को अपलोड कर दिया गया है, जो ओपन हो रहा है।
4	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग-2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन	इस बिन्दु के अनुपालन में अगवत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0

भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है।
सोनभद्र वन प्रभाग	
1 प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभास है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाईन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाईन भाग-2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1478/सोनभद्र/33, दिनांक-29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है। अतः आनलाईन भाग-2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2 ऑनलाईन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1478/सोनभद्र/33, दिनांक-29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण डिलिट कर दिया गया है तथा संशोधित लागत लाभ विश्लेषण अपलोड कर दिया गया है।
3 उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाईन	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक-1478/सोनभद्र/33, दिनांक-29.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय

भाग-2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है।
मीरजापुर वन प्रभाग	
1 प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-9 तथा ऑनलाईन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभास है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-2064/मीरजापुर/15, दिनांक-14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है। अतः हार्ड कापी भाग-2 को सही कर दिया गया है तथा आनलाइन भाग-2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2 ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail के क्रमांक-4, 19 एवं 30 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-2064/मीरजापुर/15, दिनांक-14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आनलाइन भाग-2 के Additional Information

		Detail के क्रमांक-4, 19 एवं 30 को डिलिट कर सही ढंग से अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण हार्ड कापी भाग-2 को डिलिट नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-2064/मीरजापुर/15, दिनांक-14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण हार्डकापी भाग-2 को डिलिट कर दिया गया है।
4	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-2064/मीरजापुर/15, दिनांक-14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया, त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट कर दिया गया है।
5	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग-2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-2064/मीरजापुर/15, दिनांक-14.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर		
1	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-1254/33-1, दिनांक-21.12.2021 द्वारा

प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक-6 तथा ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभास है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग-2 तथा ऑनलाइन भाग-2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व की त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग-2 डिलीट कर अपलोड करें।	अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है। अतः आनलाइन भाग-2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2 ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-1254/33-1, दिनांक-21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में सही ढंग से अभिलेखों को अपलोड किया गया है, जो ओपन हो रहा है।
3 मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-1254/33-1, दिनांक-21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण मुख्य वन संरक्षक, महोदय के स्तर से वांछित है।
4 ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर ब्लैंक पेपर अपलोड किया गया है, जो कि गलत है। अतः इसे एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलिट कराकर मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग-3 यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-1254/33-1, दिनांक-21.12.2021 द्वारा अगवत कराया गया है कि आपत्ति का निराकरण मुख्य वन संरक्षक, महोदय के स्तर से वांछित है।
5 उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक-1254/33-1, दिनांक-21.12.2021 द्वारा

गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग-2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा कि जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

अगवत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था। आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि "चूँकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं हो रहा है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" बैठक में लिए गये निर्णय से सम्बन्धित पत्र संख्या-1824/मी0क्षे0/33 दिनांक-11.10.2021 की छायाप्रति संलग्नक-1 में संलग्न है।

अतः आपको रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, मीरजापुर वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि का संशोधित समेकित प्रस्ताव चार-चार प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समेकित प्रस्ताव की तीन प्रति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 1673 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर एवं मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, वि0प्र0ख0द्वितीय, एस-14/74ए-2 अन्धरा का पुल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

0/0